


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	दिनेश जोशी व्याख्याता जीव विज्ञान जिशिअ प्रा० शिक्षा जोधपुर	जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 तक	राउमावि महिला बाग जोधपुर व्याख्याता अर्थशास्त्र के रिक्त पद के विरुद्ध


उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:— 02/01/2018

क्रमांक:— शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीग/वेतनव्यवस्था/2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग जोधपुर
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) जोधपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि, महिला बाग जोधपुर
4. सम्बन्धित कार्मिक, श्री दिनेश जोशी व्या० जीव विज्ञान जिशिअ प्रा० शिक्षा जोधपुर
5. सम्बन्धित सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग
6. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर